

जबलपुर, बुधवार 23 सितंबर 2026

login : www.haribhoomi.com

पांडुर्णा | सौंसर | चौरई | बिछुआ | परासिया | जुन्नारदैव | अमरवाड़ा | हरई

शहर के मध्य स्थित एमएलबी स्कूल एवं उत्कृष्ट विद्यालय के कुछ शिक्षकों पर नियम विरुद्ध सामान बेचने का है आरोप 8-9 गाड़ियों में निकला स्कूल का सामान, अब सीसीटीवी खोलेगा राज!

हरिभूमि न्यूज ►►छिन्दवाड़ा, मनीष गड़करी

महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (एमएलबी) के छात्रावास से शासकीय फर्नीचर और अन्य सामग्री को कबाड़ के नाम पर बाहर भेजे जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत देकर पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में छात्रावास की अधीक्षिका परवीन मंसूरी के संबंध में आरोप लगाए गए हैं कि 5 सितंबर को करीब 8 से 9 वाहनों में पुराना फर्नीचर और अन्य सामग्री विद्यालय परिसर से बाहर भेजी गई। मामले की निष्पक्षता के लिए शिकायत में केवल दस्तावेजी जांच ही नहीं, बल्कि मौके पर भौतिक सत्यापन कराने की मांग भी की गई है। विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री, पूर्व में उपलब्ध फर्नीचर और 6 सितंबर के बाद शेष सामग्री का मिलान कराया जाना जरूरी बताया गया है। यदि रिकॉर्ड में दर्ज सामग्री मौके पर नहीं मिलती है तो उसके निस्तारण का पूरा रिकॉर्ड खंगालना होगा।अच्छे सामान को दूसरे स्कूलों में दिया जा सकता थाशिकायत में यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि डेस्क, कुलर या अन्य सामग्री पूरी तरह अनुपयोगी नहीं थी तो उसे कबाड़ में बेचने के बजाय मरम्मत कर जरूरतमंद शासकीय स्कूलों को दिया जा सकता था। जिले के कई सरकारी विद्यालय आज भी स्यापन फर्नीचर और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उपयोगी सामग्री का सही उपयोग विद्यार्थियों के हित में किया जा सकता था।



शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के बीच सामग्री बाहर जाने का आरोप

शिकायत के अनुसार 6 सितंबर को जब विद्यालय के अधिकांश शिक्षक स्थानीय सांसद बंटी साहू के कार्यक्रम में शिक्षक दिवस मना रहे थे, उसी दौरान विद्यालय परिसर से बड़ी मात्रा में सामग्री बाहर भेजी गई। आरोप है कि इसमें सिर्फ अनुपयोगी कबाड़ ही नहीं, बल्कि अच्छी स्थिति के डेस्क और चालू हालत के कुलर भी शामिल थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन सामग्रियों को कबाड़ घोषित करने का आधार क्या था और इन्हें बेचने की अनुमति किस अधिकारी ने दी?

रिश्तेदार के कबाड़ कारोबार से कनेक्शन का आरोप

मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाहर भेजी गई सामग्री इमलीखेड़ा में कबाड़ का कारोबार करने वाले अधीक्षिका के रिश्तेदार के माध्यम से बेची गई। हालांकि यह आरोप जांच का विषय है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो शासकीय सामग्री के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया और संबंधित व्यक्ति से संबंधों की भी जांच आवश्यक होगी। शिकायत में कबाड़ खरीदने वाले व्यक्ति के बिल, भुगतान, वाहन नंबर और सामग्री की सूची की जांच की मांग की गई है।

उत्कृष्ट विद्यालय की सामग्री पर भी सवाल

शिकायत केवल एमएलबी तक सीमित नहीं है। इसमें उत्कृष्ट विद्यालय से संबंधित सामग्री, विशेषकर बास्केटबॉल से जुड़े पाइप एवं अन्य सामग्री के भी बेचे जाने के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में दोनों विद्यालयों के स्टॉक रजिस्टर, सामग्री निर्गमन रिकॉर्ड और **CCTV** फुटेज की जांच कराने की मांग की गई है। जांच में यह भी देखा जाना जरूरी है कि कहीं अलग-अलग स्थानों की सामग्री को एक ही प्रक्रिया के तहत तो नहीं हटया गया।

जांच हुई तो सामने आएगा असली नुकसान

शिकायतकर्ता ने 6 सितंबर को बाहर भेजी गई प्रत्येक सामग्री की सूची तैयार करने, स्टॉक रजिस्टर से मिलान कराने, वाहनों की जानकारी जुटाने और सामग्री की वास्तविक कीमत का आकलन कराने की मांग की है। यदि जांच में शासकीय संपत्ति को नियम विरुद्ध तरीके से बेचने या शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होती है तो संबंधितों से नुकसान की वसूली और नियमानुसार विमाग्री एवं वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।अब निगाह जांच पर:पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि 6 सितंबर को वास्तव में विद्यालय से क्या-क्या सामग्री बाहर गई, किसके आदेश पर गई और उसका निस्तारण किस प्रक्रिया से हुआ? यदि **CCTV** फुटेज, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन और नीलामी संबंधी दस्तावेजों का निष्पक्ष मिलान कराया जाता है तो शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि जिला इशासन और शिक्षा विभाग इस मामले में कितनी गंभीरता से जांच करते हैं। जब यह मामला प्रकाश में आया तो हो सकता है इस तरह के कई मामले समय के साथ दबा दिए गए हो, आशंका है कि इस तरह के अन्य मामले भी जांच के दौरान बाहर आ सकते हैं।

कबाड़ बिक्री में चली मनमानी, नहीं हुआ नियमों का पालन

किसी भी शासकीय स्कूल में कबाड़ बेचने से पहले समिति का गठन सामग्री का भौतिक सत्यापन और बीईओ के माध्यम से डीईओ को रिपोर्ट जरूरी है। अनुमति के बाद निविदा जारी कर अखबार में प्रकाशन और बोली प्रक्रिया के जरिए सर्वाधिक बोली लगाने वाले को अनुपयोगी सामग्री दी जाती है। आरोप है कि एमएलबी और उत्कृष्ट विद्यालय में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जबकि लोक संचालनालय ने अपने आदेशों में स्पष्ट जारी किया है कि पुराने फर्नीचर को कबाड़ में बेचने की बजाए उसकी मरम्मत कर उपयोगी बनाने और जरूरत मंद शासकीय स्कूलों को देने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि एमएलबी और उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक लोक शिक्षक संचालनालय के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए नियमों को अपने हिसाब से बनाते और संचालित करते हैं।

नियमों की प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

शिकायत में कहा गया है कि शासकीय फर्नीचर को कबाड़ घोषित कर बेचने से पहले उसका भौतिक सत्यापन, समिति का गठन, स्टॉक का मिलान, सक्षम अधिकारी की अनुमति और निष्पचित निविदा/नीलामी प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसके बाद ही नियमानुसार सामग्री का निष्पादन किया जाता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों के संलिप्त होने की आशंका है।

इनका कहना है

मेरे नॉलेज में यह मामला अभी तक आया नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी विधित्व जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

जे.के. इपराची

प्रमारी जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा

कबाड़ या सामान बेचने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति हमारे कार्यालय द्वारा नहीं प्रदान की गई है और न ही बेचने वाले ने हमसे पूछने की जरूरत समझी है। यह मामला सख्तान में तो है। पर कार्यवाही बड़े अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है।

अशरफ अली खान

विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा

नोटिस के बाद भी भू-माफियाओं के हौसले बुलंद

बिना अनुमति प्लॉट बेचने की कोशिशों पर निगम आयुक्त सीपी राय का सख्त रुख, होगी कठोर दंडात्मक कार्यवाही

हरिभूमि न्यूज ►►छिन्दवाडा

नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतगत बिना सक्षम अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण करने और आम नागरिकों को गुमराह कर भूखंड बेचने वालों के विरुद्ध निगम आयुक्त सी.पी. राय के सख्त रुख के बावजूद भू-माफियाओं और लापरवाह कॉलोनाइजर्स की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है।



नगर निगम द्वारा पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद भी संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा आम जनता एवं संभावित क्रेताओं को भ्रामक व झूठी जानकारी देकर बिना सक्षम अनुमति के भूखंडों का विक्रय लगातार जारी रखा गया

है। नोटिस मिलने के बाद भी बुलंद हो रहे ऐसे हौसलों पर संचान लेते हुए निगम आयुक्त द्वारा सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मौजा पोआमा स्थित मां पोतांबरा डेवलपर्स द्वारा खसरा नंबर119/2 (रकबा 1.659 हेक्टेयर) की भूमि स्वामी श्री राजेश बरपेटे को बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कालोनाइजर लाइसेंस, रेरा (RERA) पंजीयन एवं विकास अनुमति के प्लॉट विक्रय करने पर नगर निगम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी

किया गया है। इसी प्रकार, मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1 (रकबा 2.778 हेक्टेयर) भूमि पर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित करने पर श्री महेश कुमार माधवानी (निवासी खजरी) को भी निगम आयुक्त सी.पी. राय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के कई निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस की समयवाधि के दौरान भी आम जनों को गुमराह कर भूखंड बेचने का प्रयास करने पर उनके विरुद्ध भी कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित करने व दंडात्मक पुलिस कार्यवाही की अंतिम चेतावनी दी गई है। निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि नगर निगम की चेतावनियों और नोटिसों की अवहेलना करने वाले कॉलोनाइजर्स के बुलंद हौसलों को कड़ाई से ध्वस्त किया जाएगा। नियमविरुद्ध तरीके से अवैध भूखंड बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी (FIR) सहित कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने पुनः आम नागरिकों एवं संभावित क्रेताओं से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई से भूखंड ऋय करने से पूर्व नगर निगम कार्यालय से संबंधित कॉलोनी की वैधता, स्वीकृत ले-आउट, कालोनाइजर लाइसेंस एवं रेरा पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। फर्जी व भ्रामक दावों के झांसे में आकर ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें, अन्यथा भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के कानूनी व आर्थिक नुकसान के लिए क्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

रावनवाड़ा में ज्वाइनिंग नहीं, खमरा पंचायत के नाम पर वेतन आहरण का आरोप

सचिव पुष्प कुमार विश्वकर्मा की पदस्थापना को लेकर सवाल, सीईओ और बाबू की भूमिका भी जांच के घेरे में

हरिभूमि न्यूज ►►उमरेठ

जनपद पंचायत परासिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत रावनवाड़ा में सचिव पुष्प कुमार विश्वकर्मा की पदस्थापना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत खमरा, जनपद पंचायत जुन्नारदेव से रावनवाड़ा स्थानांतरण होने के बाद भी सचिव ने यहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बावजूद खमरा पंचायत के नाम पर वेतन आहरित किए जाने



का आरोप है। यदि जांच में अभिलेखों के आधार पर इसकी पुष्टि होती है तो यह गंभीर

प्रशासनिक एवं अनियमितता का मामला बन सकता है।

स्थानांतरण के बाद ज्वाइनिंग पर सवाल

शिकायत के अनुसार पुष्प कुमार विश्वकर्मा का स्थानांतरण ग्राम पंचायत खमरा, जनपद पंचायत जुन्नारदेव से ग्राम पंचायत रावनवाड़ा, जनपद पंचायत परासिया किया गया था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद उन्होंने रावनवाड़ा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्थानांतरण आदेश के बाद उनकी वास्तविक कार्यस्थिति क्या रही और किस बाबू पर खमरा पंचायत के नाम से वेतन आहरण होता रहा।

सीईओ और बाबू की भूमिका पर आरोप

मामले में शिकायतकर्ताओं ने जनपद पंचायत जुन्नारदेव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान तथा सहायक ब्रेड-2 वेद प्रकाश साहू की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि कथित अनियमितता इनके सख्तान अथवा संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सकती। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और विभागीय जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

बंटवारा कराने के नाम पर दस्तावेज तैयार कराने, रजिस्ट्री में दूसरे व्यक्तियों को खड़ा करने और नामांतरण कराने की शिकायत

आदिवासी परिवार की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम कराने का अधिवक्ता पर गंभीर आरोप

हरिभूमि न्यूज ►►परासिया

आदिवासी परिवार की भूमि को कथित रूप से छल - कपट एवं फर्जी तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री करवाकर नामांतरण कराने का गंभीर मामला सामने आया है । ग्राम साजकुही , तहसील तामिया निवासी रमेश पिता भैयालाल जो आदिवासी हैं ने इस संबंध में जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा की जनसुनवाई में लिखित शिकायत प्रस्तुत एक अधिवक्ता के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई की मांग की है । शिकायत में भूमि की रजिस्ट्री एवं नामांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच कर आदिवासी परिवार को उनकी भूमि वापस दिलाने की मांग की गई है । शिकायत के अनुसार आवेदक



अनुपुचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं तथा कृषि कार्य करते हैं, जबकि अनावेदक को अधिवक्ता हैं और परासिया न्यायालय में विधि व्यवसाय करते हैं । परिवार का आरोप है , कि वर्ष 2015 में वे अपनी भूमि का बंटवारा करवाने एवं अलग - अलग पावती/खाते बनवाने के उद्देश्य से अधिवक्ता के पास पहुंचे थे ।

बंटवारे के नाम पर दस्तावेज लिए जाने का आरोप

शिकायत में बताया गया है , कि दिनांक 07 जुलाई 2015 को परिवार के सदस्यों को तहसील कार्यालय परासिया में बंटवारे की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया तथा मतदाता परिचय पत्र , पासपोर्ट साइज फोटो , भूमि की ऋण पुस्तिका , खसरा , किश्तबंदी एवं नक्शा आदि दस्तावेज मंगवाए गए ।परिवार का आरोप है , कि उन्हें बताया गया था , कि भूमि का बंटवारा कर अलग - अलग ऋण पुस्तिकाएं/पावती बनाई जाएंगी , लेकिन इसके बजाय रजिस्ट्री की प्रक्रिया कर दी गई ।

“ हम रजिस्ट्री कार्यालय गए ही नहीं, फिर जमीन कैसे दूसरे के नाम हो गई?

शिकायतकर्ता का कहना है , कि परिवार के सभी सदस्य रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे । शिकायत में आरोप लगाया गया है , कि परिवार की महिला सदस्य के स्थान पर किसी अन्य महिला तथा अन्य आवेदकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को खड़ा कर फोटो एवं हस्ताक्षर करवाए गए ।परिवार का कहना है , कि उन्हें बंटवारा होने की बात बताई गई , जबकि बाद में जानकारी मिली कि भूमि का एक हिस्सा कथित रूप से अधिवक्ता के नाम रजिस्ट्री हो गई । शिकायत में ग्राम भंडारिया स्थित भूमि के खसरा नंबर 423, प.ह.नं. 7/51, रा.वि.मं. परासिया , तहसील परासिया तथा खसरा नंबर 264/2 के संबंध में भी विवरण दिया गया है । शिकायत के अनुसार संबंधित भूमि का रकबा 0.065 हेक्टेयर है , जिसमें से 0.053 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री अनावेदक के नाम कराए जाने का आरोप है ।

ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाने पर परिवार को हुई वास्तविक स्थिति की जानकारी परिवार के अनुसार जब आवेदक ने बाद में अपनी भूमि के ऑनलाइन राजस्व दस्तावेज/रिकॉर्ड निकलवाए तब उन्हें पता चला कि जिस भूमि को वे अपनी पारिवारिक भूमि मानते थे, वह किसी और के नाम दर्ज हो चुकी है । इसके बाद परिवार ने अपने अन्य सहसहोदरों से जानकारी ली तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें भूमि के बंटवारे के लिए न्यायालय में बुलाए जाने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर करवाए जाने की बात तो बताई गई थी , लेकिन यह नहीं बताया गया था कि उक्त भूमि बिना प्रतिकार के रजिस्ट्री के माध्यम से किसी और के नाम की जा रही है । परिवार ने इसे गंभीर विषय बताते हुए मांग की है , कि रजिस्ट्री के समय की उपस्थिति, फोटो, हस्ताक्षर, पहचान संबंधी दस्तावेज, उपलब्ध बायोमेट्रिक/अंगुठी के निशान तथा नामांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाए।

चौरई नगर में धूमधाम से मनाया जा रहा पर्युषण पर्व

चौरई। नगर के छोटी बाजार स्थित दिगंबर तरण तरण जैन चैत्यालय जी में पर्युषण पर्व बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और आत्मीयता के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर आत्मानंद जी महाराज का सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री के मुखारविंद से प्रवाहित हो रहे ज्ञानवर्धक प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालु धर्म, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश ग्रहण कर रहे हैं। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। इसे पर्वधाराज अर्थात पर्वों का राजा भी कहा जाता है। यह पर्व आत्मशुद्धि, संयम, तपस्या, त्याग और क्षमा की भावना को समर्पित है। इस दौरान जैन धर्मावलंबी दस दिनों तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।पर्युषण पर्व के अवसर पर प्रतिदिन सुबह से ही मंदिर जी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में पूजा-अर्चना, भजन मंडली, आरती एवं चंवर नृत्य सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार व्रत एवं उपवास



रखकर आत्मसंयम और तपस्या का पालन कर रहे हैं। कोई केवल जल ग्रहण कर उपवास कर रहा है, तो कोई एकासन अथवा दिन में एक बार भोजन ग्रहण कर साधना कर रहा है। इस दौरान अनेक श्रद्धालु हरी सब्जियों का त्याग भी कर रहे हैं। वहीं, रात्रि में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों एवं युवा से लेकर बुजुर्गों तक सभी बड़-चढ़कर सहभागिता निभा रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से धर्म, संस्कार और संस्कृति के प्रति आस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है।

अनाधिकृत राशि गबन के मामले में प्राथमिक शिक्षक को 8 वर्ष का कारावास

43.55 लाख रुपए के गबन के मामले में जुन्नारदेव न्यायालय का फैसला

हरिभूमि न्यूज ►►जुन्नारदेव

अनाधिकृत राशि के गबन के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया की अदालत ने प्राथमिक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 8 वर्ष के कारावास एवं कुल 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह फैसला सोमवार 21 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 171/2023, थाना तामिया एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2025 में सुनाया।अभियोग के अनुसार आरोपी हरि प्रसाद पंड्रे, प्राथमिक शिक्षक वीर पठार पर 43 लाख 55 हजार 307 रुपए की अनाधिकृत राशि के गबन का आरोप था। प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बचाकुई माल में चलाया स्वच्छता अभियान

बिछुआ । जन मंगल संस्थान, छिंदवाड़ा द्वारा ग्राम बचाकुई माल में “स्वच्छता ही सेवा” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा गांव में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में जन मंगल संस्थान के **EW** श्री जबर सिंह वानखेड़े,जी की उपस्थिति में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम किया गया जिसमें स्वयं सहायता समूह की दीदी ग्राम पंचायत के पंच, ग्राम सहयोगी समूह के सदस्य, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने सक्रिय सहभागिता की। सभी सहभागियों ने सामूहिक रूप से गांव के सर्वजनिक स्थानों, रास्तों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई कर श्रमदान किया तथा एकत्रित कचरे को व्यवस्थित रूप से हटया।



पुल के ऊपर से पांच वर्षीय बच्चे समेत बुजुर्ग कर रहे थे विसर्जन, 10 से 15 फीट गहराई वाले स्थान पर नहीं दिखे सुरक्षा इंतजाम

पेंच नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में

हरिभूमि न्यूज»सिंगोड़ी

पेंच नदी में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को छिंदवाड़ा से एक परिवार गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए सिंगोड़ी पहुंचा। यहां पांच वर्षीय बच्चे सहित बुजुर्ग महिला-पुरुष बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के पुल के ऊपर से प्रतिमा विसर्जन करते नजर आए। जिस स्थान पर विसर्जन किया जा रहा था, वहां नदी में पुल के दोनों ओर करीब 10 से 15 फीट तक पानी की गहराई बताई जा रही है। ऐसे में बिना सुरक्षा प्रबंधों के नदी में विसर्जन करना किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देने जैसा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिंगोड़ी के पेंच नदी घाट पर मंगलवार से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिमाएं लेकर यहां पहुंचते हैं। आगामी चार दिनों तक प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसके बावजूद नदी के गहरे हिस्से में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आने से लोगों में चिंता है।



गहरे पानी में छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी

पेंच नदी में जिस स्थान पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है, वहां पानी की गहराई अधिक होने के कारण सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। मंगलवार को परिवार के सदस्यों द्वारा पुल के ऊपर से प्रतिमा विसर्जित किए जाने के दौरान पांच वर्षीय बच्चे और बुजुर्गों की मौजूदगी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। थोड़ी सी भी असावधानी या पैर फिसलने की स्थिति में गंभीर हादसा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से पहले आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने की जरूरत है।

फेंसिंग, गोताखोर और रोशनी की जरूरतस

थानीय लोगों का कहना है कि विसर्जन स्थल पर नदी के दोनों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत फेंसिंग लगाई जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी तक न पहुंच सकें। इसके अलावा विसर्जन अवधि तक प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जरूरी है। घाट पर पुलिस एवं प्रशासन की निगरानी रहने से श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित तरीके से विसर्जन करने के लिए निर्देशित किया जा सकेगा।



बारिश के चलते बढ़ सकता है नदी का जलस्तर

लोगों ने मांग की है कि नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने की स्थिति से निपटने के लिए नाव की व्यवस्था भी रखी जाए। पेंच नदी का बहाव लंबी दूरी तक होने के कारण ऊपरी क्षेत्र में बारिश होने पर जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। मौसम विभाग द्वारा 23 सितंबर से पुनः बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में आगामी दिनों में विसर्जन के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में खतरा और बढ़ सकता है।स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि आगामी दिनों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तत्काल मजबूत की जाए। घाट पर फेंसिंग, गोताखोर, नाव, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आस्था के पूर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

खेल परिसर मैदान में कबड्डी विद्या का आयोजन



हरिभूमि न्यूज»तामिया

तामिया जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित विकास खण्ड स्तरीय में इस स्पर्धा में बालक/बालिका वर्ग 14,17,19 के वर्ष कबड्डी विद्या का आयोजन 21 सितंबर आयोजित किया गया।22 सितंबर को एथलेटिक्स विकास खण्ड स्तरीय का आयोजित होगा। इन प्रतियोगियों के बाद चयनित खिलाड़ी जिला स्तर कबड्डी, एथलेटिक्स प्रतियोगिता का

आयोजन 23, 24 सितम्बर को खेल परिसर खेल मैदान तामिया में आयोजित किए जायेगा।

विकास खण्ड स्तरीय कबड्डी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तुलसा ईश्वर परतेती, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा वतन उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत कौरव, ऋषभ सूर्यवंशी, डा. धर्मेन्द्र वासनिक, प्रभारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बीके सानेर, बहन्नी संकुल प्रभारी

जितेन्द्र गौतम, चावलपानी प्रभारी राजेश कुशवाह की उपस्थिति में खेल प्रारम्भ हुआ। खिलाड़ियों को खेल के प्रति भाईचारा एवं आपसी सहयोग सामंजस से खिलाड़ी भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर में विभाग द्वारा स्वच्छ पानी, बैटने एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधा का इंतजाम किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल टीम को भी खेल प्रतियोगिता के दौरान पूर्ण सहयोग मिला।

गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर तामिया पंचायत अलर्ट

घाटों पर रोशनी, सफाई और सुरक्षा के इंतजाम, प्रशिक्षित गोताखोरों की होगी तैनाती



हरिभूमि न्यूज»तामिया

गणेश उत्सव अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। प्रतिमाओं के विसर्जन में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घाटों पर बेहतर व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत तामिया अलर्ट मोड में आ गई है। पंचायत ने विसर्जन स्थलों पर

आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि देर रात तक चलने वाले विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।विसर्जन स्थल पर दोनों ओर लगे खंभों पर विद्युत व्यवस्था के लिए मरकरी लाइट लगाई गई है। चूंकि प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात तक चलता है, इसलिए श्रद्धालुओं को

पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराने के लिए घाटों पर प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। जरूरत के अनुसार आसपास के क्षेत्र में हैलोजन लाइट सहित अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं घाटों की साफ-सफाई के लिए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जल क्षेत्र में रहेगी विशेष सुरक्षा

विसर्जन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जल क्षेत्र में सुरक्षा की रहेगी। इसके लिए घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में मौजूद रहेगा। पंचायत की तैयारी है कि पुलिस एवं प्रशासन की निगरानी में विसर्जन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। पंचायत द्वारा दोनों निर्धारित स्थलों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की जा रही है।ग्राम पंचायत सचिव जगत शाह टेकाम ने बताया कि अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार घाटों पर आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। पंचायत का प्रयास है कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और आस्था के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

प्रमुख मंडलों से मांगे सुझाव

तामिया में दर्जनों गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें ब्लॉक कॉलोनी और खेड़ापति माता मंदिर मंडल की झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती हैं। पंचायत ने प्रमुख गणेश मंडलों के सदस्यों को घाटों पर की जा रही तैयारियों से अवगत कराया और उनसे सुझाव भी मांगे। मंडल सदस्यों ने पंचायत की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया।ग्राम पंचायत की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और सचिव के प्रयासों से मूर्ति विसर्जन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

डोल ग्यारस पर जल विहार के साथ हुआ भगवान का नगर भ्रमण



हरिभूमि न्यूज»गाण्डला

डोल ग्यारस के पावन पर्व पर मंगलवार को मंडला जिले में धार्मिक आस्था और भक्ति का अमूर्त दृश्य देखने को मिला। जिले के अनेक मंदिरों में भगवान की विशेष पूजा-अर्चना के बाद विराजमान कर भक्तों के साथ जल विहार के लिए ले जाया गया। शोभायात्रा में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। धार्मिक गीतों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभायात्रा के मार्ग में लोगों ने अपने धार्मिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत मंडला

शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मंदिर समितियों द्वारा विशेष आयोजन किए गए। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। भगवान के विग्रह का विधि-विधान से पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद उन्हें डोल में विराजमान कर भक्तों के साथ जल विहार के लिए ले जाया गया। शोभायात्रा में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। धार्मिक गीतों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभायात्रा के मार्ग में लोगों ने अपने धार्मिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत मंडला



सड़क किनारे फिर होने लगे कब्जे, टपरों के पीछे लगाए जा रहे सबमर्सिबल पंप

सड़क चौड़ीकरण को लेकर उठ रहे सवाल

*** बिड़िया-कटरा मार्ग पर प्रशासन ने की थी कार्रवाई।**

हरिभूमि न्यूज»गाण्डला

बिनाझिया से कटरा तक सड़क किनारे किए जा रहे अवैध कब्जों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कुछ समय पूर्व नगरपालिका एवं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण और संभावित चौड़ीकरण को लेकर सड़क के दोनों ओर से टीन शेड और अस्थायी कब्जे हटाए गए थे। हालांकि, सड़क चौड़ीकरण का काम आगे नहीं बढ़ने के बाद सड़क किनारे दोबारा टपरे और दुकानें लगने लगी हैं।

बताया जा रहा है कि रिलायंस मॉल के आगे सड़क के दोनों ओर लगातार नए अस्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहा है कि जब पूर्व में सड़क



किनारे से कब्जे हटाए गए थे, तो दोबारा हो रहे अतिक्रमण पर

संबंधित विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है।



इसी बीच कुछ टपरों और दुकानों के पीछे जमीन खोदकर सबमर्सिबल पंप भी लगाए जाने की बात सामने आ रही है। सवाल यह है कि सड़क किनारे इस प्रकार पंप लगाने की अनुमति किस विभाग से ली गई है और यदि अनुमति नहीं ली गई है तो संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।

स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में सड़क किनारे अस्थायी दुकानें और टीन शेड लगाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ यही कब्जे स्थायी निर्माण का रूप ले सकते हैं। ऐसे में यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में सड़क चौड़ीकरण या यातायात व्यवस्था के लिए फिर से बड़ी

कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सड़क निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर पहले की गई कार्रवाई के बाद भी स्थिति पूर्ववत होने से पीडब्ल्यूडी विभाग और संबंधित पंचायत को कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है तो सड़क की सीमा स्पष्ट कर कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जाए और यदि कोई निर्माण या सबमर्सिबल पंप बिना अनुमति लगाया गया है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अब देखना यह है कि संबंधित विभाग सड़क किनारे बढ़ते कब्जों और बिना अनुमति लगाए जा रहे सबमर्सिबल पंपों को लेकर कब तक कार्रवाई करता है।

खबर संक्षेप

मेरे सपनों का भारत संकुल स्तरीय भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

हरिभूमि न्यूज सिवनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी में प्राचार्य श्रीमती राजेश्वरी धुर्वे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ जिसमें संकुल से आए हुए लग भग 100 छात्राओं ने भाग लिया है जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी अंसरा इमरान खान नेताजी सुभाष चंद्र बोस हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी दूसरा स्थान श्री दुबे मॉडर्न स्कूल शिक्षा भारती नेताजी स्कूल भूमिका मॉडर्न विद्यालय सिवनी प्राप्त किया। इसी प्रकार भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कृतिका पांडे मॉडर्न हाई द्वितीय हस्सान कुरैशी स्कूल नेताजी स्कूल तृतीय स्थान माध्यमिक शाला बमहोडी से श्याम शिव ने प्राप्त किया इस संपूर्ण कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती पूजा पांडे और मोहम्मद साकिर खान राज्यापाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के द्वारा किया गया इसमें प्राचार्य महोदय श्रीमती राजेश्वरी धुर्वे ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया इसमें आए हुए अतिथि गणों में संजय जैन सजु जी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने देश का विकास करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें हर मोड़ पर साहस और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए।

महिला थाना सिवनी द्वारा ग्लोबल लॉ कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज सिवनी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं कानूनी अधिकारों पर दिया गया व्याख्यान पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में ग्लोबल लॉ कॉलेज, सिवनी में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक संदीपिका ठाकुर द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों एवं उनके विरुद्ध घटित अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई।

ग्राम पंचायत सिल्लोर पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

हरिभूमि न्यूज सिवनी। पोषण माह के अंतर्गत आज आंगनवाड़ी केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों एवं अभिभावकों को पोषण, स्वास्थ्य, स्तनपान तथा बच्चों के समुचित विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर श्रीमती उषा दिवाने ने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में उचित पोषण उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास की मजबूत नींव तैयार करता है।

मृत्यु के बाद भी मानव सेवा का संकल्प, जिला सिवनी अस्पताल में किया गया देहदान



सिवनी/लखनादौन। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं एवं मानव सेवा की प्रेरणा से हरिचंद दास ने देहदान कर समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्राम डागनगौदी, पोस्ट करनपुर, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी निवासी हरिचंद दास के निधन के बाद परिजनों ने उनकी देह जिला सिवनी अस्पताल में देहदान के लिए समर्पित की। हरिचंद दास की पत्नी शांता बाई दासी एवं पुत्र हरिसिंह दास ने इस सेवा कार्य में अपनी सहमति एवं सहभागिता निभाई। परिवार के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज से मिली मानव कल्याण और परोपकार की प्रेरणा से देहदान का निर्णय लिया गया। देहदान के दौरान जिला सिवनी अस्पताल में चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत पार्थिव शरीर को स्वीकार किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने देहदान को चिकित्सा शिक्षा एवं मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सेवा बताया। परिवार का कहना है कि मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद भी चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन और भावी चिकित्सकों की शिक्षा में उपयोगी हो सकता है। इसी उद्देश्य से हरिचंद दास के परिवार ने यह निर्णय लेकर समाज में देहदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।



शासकीय नियमों को टेंगा: शिक्षक बने ‘सर्वेसर्वा’, बच्चों के निवाले पर डाका और कर्मचारी का मानसिक उत्पीड़न

थाना धनौरा में प्रताड़ना की शिकायत दर्ज, फर्जी हस्ताक्षर से रूष्टरू की राशि आहरित करने का गंभीर आरोप

बीआरसीसी की भूमिका संदेह के घेरे में: बिना सत्यापन सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद, कलेक्टर तक पहुँचा मामला

पलारी (धनौरा)। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले विकासखंड धनौरा की शासकीय माध्यमिक शाला देवरीटीका (संकुल कुराड़ी) में शासकीय नियमों, विभागीय निर्देशों और प्रशासनिक निष्ठा की खूलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अध्यापन की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षक यहाँ स्वयं प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के मुख्य सूत्रधार बने हुए हैं।

प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ अशोक ठाकुर

विगत लंबे समय से संलग्नीकरण पर लगे शासकीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर नियम विरुद्ध तरीके से माध्यमिक शाला देवरीटीका में जमे हुए हैं। आलम यह है कि अध्यापन का मूल कार्य छोड़ उक्त शिक्षक स्वयं मध्याह्न भोजन योजना के खर्चे का संचालन कर वित्तीय अधिकारों पर कुंडली मारे बैठे हैं।

फर्जी हस्ताक्षर से राशि आहरण का संगीन आरोप

प्रकरण सिर्फ नियम विरुद्ध पदस्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे वित्तीय धोखाधड़ी की ओर इशारा कर रहा है। प्राप्त साक्ष्यों और स्थानीय जानकारी के अनुसार, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को पूरी तरह अंधेरे में रखकर उनके फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए गए और बैंक से चेकों का भुगतान उठा लिया गया।

बच्चों के पोषण अधिकार के लिए आने वाली

शासकीय राशि का अवैध आहरण कर मेनु और गुणवत्ता के मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शाला में विद्यार्थियों को घंटिया और निम्नस्तरीय भोजन परोसा जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

कार्यस्थल पर आतंक: थाना धनौरा में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज

शिक्षक अशोक ठाकुर पर पदीय दुरुपयोग के साथ-साथ कनिष्ठ कर्मचारियों के उत्पीड़न का भी गंभीर आरोप लगा है। संस्था में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य) यशपाल डहेरिया को कामकाज के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात सामने आई है। पीड़ित भृत्य ने इस संबंध में थाना धनौरा में विधिवत लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामला पुलिस थाने तक पहुँचने से साफ उजागर होता है कि शाला में विभागीय अनुशासन

पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और भय व प्रताड़ना का माहौल व्याप्त है।

बीआरसीसी की संदिग्ध भूमिका: 181 शिकायत को गुमराह कर कराया बंद इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू प्रशासनिक शह और लीपापोती है। पूर्व में दर्ज सीएम हेल्पलाइन (181) की शिकायत में बीआरसी द्वारा एकतरफा आख्या लगाकर प्रकरण को बंद कर दिया गया।

ना तो शिकायतकर्ता की सहमति ली गई ना ही स्थल पर जाकर निष्पक्ष भौतिक सत्यापन किया गया, और ना ही बैंक चेकों पर किए गए हस्ताक्षरों की कोई निष्पक्ष पड़ताल हुई। जाँच के नाम पर की गई इस लीपापोती से बीआरसीसी की निष्पक्षता और भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में लगे हुए थे।

अब कलेक्टर की चौखट पर मामला, प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप

मामला सार्वजनिक होने और कलेक्टर स्तर पर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी हस्ताक्षर और वित्तीय हेराफेरी की निष्पक्ष फॉरेंसिक व विभागीय जाँच कराएगा? क्या नियम विरुद्ध जमे शिक्षक और फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत बंद कराने वाले बीआरसीसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी? या फिर विभागीय साँटगाँठ के चलते बच्चों के निवाले पर डाका डालने वाले यूँ ही बेखोफ धूमते रहेंगे।

श्री महामाया मंदिर नंदौरा में हवन-पूजन के साथ हुई गत्य महाआरती

श्री महामाया मंदिर नंदौरा में गणेश उत्सव के पावन पर्व पर प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना, आरती एवं भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। श्री महामाया मंदिर गणेश पूजा उत्सव समिति के तत्वावधान में सोमवार 21 सितंबर को भगवान श्री गणेश जी का विधि-विधान से हवन-पूजन संपन्न कराया गया। इसके पश्चात बजरंग उत्सव समिति मोरखा, (चौरुई) द्वारा बैड की धुन पर भगवान श्री गणेश एवं मां श्री महामाया की गत्य महाआरती की गई। महाआरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंज उठा। महिलाओं ने भी थाल में दीप प्रज्ज्वलित कर सामूहिक महाआरती में सहभागिता की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने महाआरती में शामिल होकर धर्मलाम अर्जित किया।

छपारा नगर में विराजमान भगवान श्री गणेश



द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की जिम्मे दौभाग एवं सूची की जांच से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिन्हें नगर परिषद सीएमओ को प्रेषित किया गया।

अस्पताल संबंधी समस्या: वार्ड नं. 9 केवलारी निवासी आयुष जंघेला द्वारा सिविल अस्पताल केवलारी में आ रही समस्याओं के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर बीएमओ केवलारी को आवश्यक निर्देश दिए गए।

त्वरित निराकरण के निर्देश

जनसुनवाई के दौरान एसडीएम सुश्री रेखा देशमुख ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का मौका स्थल निरीक्षण (सर्वे) कर नियमानुसार व समयसीमा के भीतर प्रार्थमिकता से निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हरिभूमि न्यूज >>> केवलारी।



कलेक्टर महोदया सिवनी के प्राप्त निर्देशों के परिपालन में प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन आज दिनांक 22 सितंबर 2026 को हारुद्र कार्यालय केवलारी के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। जनसुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी (एसडीएम) केवलारी सुश्री रेखा देशमुख द्वारा की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु ब्लॉक स्तर के सभी विभागों के प्रमुख एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में प्राप्त हुए 14 आवेदन आज आयोजित हुई जनसुनवाई में कुल 14 आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी-अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से राजस्व विभाग (शासकीय भूमि से

अतिक्रमण हटाने, पट्टा प्रदाय, भूमि संशोधन), नगर परिषद, अस्पताल एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित मामले शामिल थे। प्रमुख मामले व संबंधित विभाग: शासकीय भूमि से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटाना: ग्राम खेरी (उगली) निवासी अतीश बिसेन द्वारा शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिस पर तहसीलदार उगली को कार्रवाई के निर्देश दिए

गए। आवासीय पट्टा व भूमि संशोधन: ग्राम सिंगोड़ी -नफोस खान, खापाबाजार -हनीफ खान एवं गंज खैरा - कुमार जायसवाल, लोकेश,मुकेश,शशिकांत से संबंधित आवेदकों द्वारा आवासीय भूमि के पट्टे एवं संशोधन हेतु आवेदन दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं नगर परिषद मामले: वार्ड क्रमांक 09 एवं वार्ड क्रमांक 06 (विवेकानंद वार्ड) केवलारी से आए आवेदकों

तेज आंधी-हवा से खापा बाजार एवं डोकरांजी क्षेत्र में मक्के की फसल बिछी, किसानों को भारी नुकसान



सिवनी। जिले के खापा बाजार एवं डोकरांजी सहित आपत्तस के क्षेत्रों में तेज आंधी-हवा के कारण खेतों में खड़ी मक्के की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई खेतों में तैयार हो रही मक्के की फसल पूरी तरह बिछ जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। क्षेत्र में प्रभावित किसानों से मुलाकात कर खेतों में पहुँचकर फसल की स्थिति एवं नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने बताया कि तेज हवा के कारण उनकी मेहनत से तैयार हो रही फसल खेतों में गिर गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र फसल सर्वे एवं नुकसान का उचित आकलन करवाने तथा पात्र किसानों को नियमानुसार राहत एवं मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। किसानों की इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं और उनके हितों के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

मिली। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच को रंगों और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए यह संदेश दिया कि सेवा, स्वच्छता, विकास, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारत को एक सशक्त एवं विश्वसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। यह चित्रकला प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक रही, बल्कि उन्हें अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशक्ति और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावी मंच भी प्रदान किया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण, सेवा भावना एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को भावना को प्रोत्साहित किया।